

क्रमांक 1/4/2009-1सं0का0
राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग
हरियाणा सरकार

दिनांक चण्डीगढ़ 3 सितम्बर, 2015.

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

विषय:- हरियाणा विधान सभा के 2 सितम्बर, 2015 से आरम्भ हुए अधिवेशन की अवधि बढ़ने बारे ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सरकार के समसंख्यक क्रमांक पत्र दिनांक 31 अगस्त, 2015 के निरन्तर में यह कहने का निदेश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा के 2 सितम्बर, 2015 से आरम्भ हुआ अधिवेशन 7 सितम्बर, 2015 तक नियत किया गया है । पहले तय किए गए 2 सितम्बर, 2015 के तारांकित/अतारांकित प्रश्न अब 4 सितम्बर, 2015 को लिस्ट किये जायेंगे व 4 सितम्बर, 2015 को तय किये गये तारांकित/अतारांकित प्रश्न अब 7 सितम्बर, 2015 को लिस्ट किये जायेंगे । आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्य अपने अधीन विभागों में कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के नोटिस में ला दें ।

भवदीय,

अवर सचिव संसदीय कार्य,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृष्ठांकन क्रमांक 1/4/2009-1सं0 का0

दिनांक चण्डीगढ़ 3 सितम्बर, 2015.

एक-एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ तथा आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

अवर सचिव संसदीय कार्य,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृष्ठांकन क्रमांक 1/4/2009-1सं0 का0

दिनांक चण्डीगढ़ 3 सितम्बर, 2015.

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है :-

1. सचिव, राज्यपाल हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, हरियाणा ।
3. सचिव, हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ़ ।

अवर सचिव संसदीय कार्य,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृष्ठांकन क्रमांक 1/4/2009-1सं0 का0

दिनांक चण्डीगढ़ 3 सितम्बर, 2015.

एक-एक प्रति मुख्य मंत्री जी तथा मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/मुख्य संसदीय सचिवों के विशेष वरिष्ठ सचिवों/ वरिष्ठ निजी सचिवों/सचिवों/निजी सचिवों को मुख्य मंत्री/मंत्रियों/मुख्य संसदीय सचिवों के सूचनार्थ भेजी जाती है ।

अवर सचिव संसदीय कार्य,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।